(81)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/उत्पादन/काष्ठ/ 593   1867 भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2002

18/2/02

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश

विषयः— डिपो में उपलब्ध वनोपज के निर्वर्तन हेतु अवरोध मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया।

संदर्भः— म.प्र.शासन वन विभाग का पृ.क्र. एफ–30/4/99/10/3 दिनांक 8–9–99.

-- --

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें अवरोध मूल्य निर्धारण प्रत्येक 6 माह हेतु विगत 6 माहों में प्राप्त दरों के औसत के आधार पर वर्ष में दो बार क्रमशः एक अप्रैल एवं एक अक्टूबर को किया जावे।

गत अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 14–12–2001 में लिये गये निर्णयानुसार आपको उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही भविष्य में भी अवरोध मूल्य निर्धारित करने के निर्देश मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) के पत्र क्र. 289 दिनांक 15–01–2002 द्वारा दिये गये है। कतिपय वन संरक्षकों को शंका उत्पन्न हुई है कि उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर पूर्व में निर्धारित अवरोध मूल्य से कम निर्धारण होने पर [illegible] ही पारिभाषित अवरोध मूल्य को रखा जाना है, जो उचित नहीं है। अतः आपको उक्त पत्र द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आप गत 6 माह के नीलामों के आधार पर अवरोध मूल्यों का पुनर्निर्धारण करें। विभिन्न डिपो के नीलाम परिणामों से ऐसा आभास मिल रहा है कि वन संरक्षकों द्वारा इस दिशा में सही प्रयास नहीं किये जा रहे है। गत नीलामों में प्राप्त विभिन्न गुलाई एवं लम्बाई [illegible] में प्राप्त समस्त विक्रय मूल्यों का श्रेणीवार वैज्ञानिक पद्धति से ग्राफ प्लाट किया जाये तथा [illegible] की लाईन को स्मूथ किया जाकर उस श्रेणी के विभिन्न लम्बाई एवं गुलाई पर अवरोध मूल्य निर्धारित किया जावे, इस प्रक्रिया में गत 6 माह के नीलामों के आधार पर वर्ग विशेष की विभिन्न लम्बाई एवं गुलाई वर्ग का मूल्य का [illegible] [illegible] मूल्य पर किसी लाट को बिकने का प्रश्न ही

में स्पष्ट किया जाता है कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ग्राफ के अनुसार जो अवरोध मूल्य निर्धारित हो, वह पूर्व में निर्धारित की गई अवरोध मूल्य से चाहे कम ही क्यों न हो वही अवरोध मूल्य रखा जावे। अवरोध मूल्य निर्धारण अब लम्बाई वर्ग के आधार मान कर या गोलाई वर्ग को आधार मान कर किया गया है। इस प्रक्रिया में एक लाईन पर ही समस्त बिन्दु आवेंगे। अतः बिन्दुओं लाईन के दोनों ओर लगाकर अधिकतम संकेन्द्रण का पता लगाया जा सकता है। अवरोध मूल्य निर्धारण हेतु बनाये जाने वाले ग्राफ का प्रारूप संलग्न है। इस प्रक्रिया से किसी लाट हेतु बहुत अधिक एवं बहुत कम प्राप्त विक्रय मूल्य अपने आप छूट जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं करवाना सुनिश्चित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

।। कार्यालय वन संरक्षक मध्यवृत्त जबलपुर मध्यप्रदेश ।।

क्रमांक/राजस्व/ 2044 जबलपुर/दिनांक/25 /02/02

प्रतिलिपि:- समस्त वन मण्डलाधिकारी उत्पादन, एवं सामान्य वन मण्डल जबलपुर एवं सामान्य वन मण्डल कटनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।

संलग्न :- 1 ग्राफ

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त, जबलपुर

।।राजेश।। 22फरवरी2002

लंबाई वर्ग 2-3 मीटर